

प्रारूप-1

(सभी इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थियों के लिए सही तरीके से दो प्रतियों में भरना आवश्यक)
अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को दशमोत्तर
छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र

- 1- शिक्षा सत्र कैटेगरी
- 2- विद्यालय/ संस्था का नाम
- 3- छात्र/ छात्रा का पूरा नाम
- 4- पिता/ पति/ विधिक रूप से घोषित अभिभावक का नाम
- 5- कक्षा/ पाठ्यक्रम का पूरा नाम व विषय (ब्रांच).....
- 6- पाठ्यक्रम की अवधि
- 7- कक्षा/ पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष व प्रवेश तिथि
- 8- वर्तमान वर्ष में छात्र/ छात्रा पाठ्यक्रम के किस वर्ष में हैं
- 9- कक्षा में प्रवेश नियमित सीट या स्ववित्त पोषित सीट के सापेक्ष हुआ है
- 10- वर्तमान पाठ्यक्रम हेतु यदि कोई छात्रवृत्ति पूर्व में प्राप्त की गयी है तो उसका विवरण
- 11- यदि पूर्व में वर्तमान अध्ययन अवधि में कोई अन्तराल/ व्यवधान (गैप) हो तो उसका पूर्ण विवरण (शपथ पत्र में सलंगन करें)
- 12- जातिउपजातिधर्म
- 13- पूरा स्थायी पता
- 14- पत्र व्यवहार का पूरा पता
- 15- पिता / पति/ विधिक रूप से घोषित अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय
- (सक्षम स्तर का आय प्रमाण-पत्र एवं आयकर रिटर्न की प्रति, जहाँ लागू हो, संलग्न करें)
- 16- आवासीय छात्र/ दिवा छात्र (उल्लेख करें)
- 17- छात्र के बैंक एवं शाखा का नाम तथा खाते का नं0
- 18- पाठ्यक्रम हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदित वार्षिक नान रिफण्डेबिल अनिवार्य शुल्क की धनराशि

अभिभावक का नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक :.....

छात्र/ छात्रा के हस्ताक्षर

कृपया आवेदन पत्र (दो प्रतियों में) निम्नलिखित दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करें।

- 1- आय प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र जिनका सत्यापन <https://www.bor.up.nic.in> पर हो सके।
- 2- हाईस्कूल एवं 10+2/ अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण-पत्रों की सत्यापित छायाप्रतियां।
- 3- संलग्न घोषणा-पत्र जिसकी एक प्रति **₹10/-** के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड करवा कर एवं दूसरी उसकी छायाप्रति प्रस्तुत की जाये।

अग्रसारित

विभागाध्यक्ष

निदेशक/ प्राचार्य

घोषणा-पत्र

(समक्ष: जिला समाज / पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार)

मैं घोषित करता/करती हूँ कि समाज / पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन में दी गयी सभी सूचनायें सही हैं, मुझे अन्य किसी स्रोत से दूसरी छात्रवृत्तियाँ प्राप्त नहीं हो रहीं हैं, तथा मैं कहीं भी सेवारत नहीं हूँ।

यदि कोई सूचना असत्य पायी जाये, तो छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की सम्पूर्ण धनराशि 18 प्रतिशत ब्याज सहित वापस कर दूँगा/दूँगी।

छात्र/छात्रा के पिता/माता/अभिभावक के हस्ताक्षर
(पिता की मृत्यु अथवा मानसिक अस्वस्थता की स्थिति में
माता एवं पिता/माता की मृत्यु की दशा में विधिक रूप
से घोषित अभिभावक)

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर :
छात्र/छात्रा का पूरा नाम :
कक्षा :
वर्ग : सामान्य / पिछड़ा / अनुसूचित /
अल्पसंख्यक
संस्थान :